

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 20, गुरुवार, श०के 1947- दिसम्बर 11, 2025 Agrahayana 20, Thursday, Saka 1947- December 11, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

घोषणा

जयपुर, नवम्बर 13, 2025

संख्या:11/भू.अ./ज.स./2021/1602-1606:-चूँकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीसलपुर परियोजना की दायी मुख्य नहर की आर. डी. 19.300 से 23.00 किमी. के ग्राम दूनी के शेष रही खसरा नम्बर 2488 की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि संलग्न सूची में वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के प्रावधानुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे संबंध हो, जारी की जाती है तथा अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली तथा अधिशाषी अभियन्ता, नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना, टोंक के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरण

केन्द्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 के तहत भूमि अवाप्ति की धारा 19 के प्रस्ताव।

बीसलपुर परियोजना की दांयी मुख्य नहर की आर.डी. 19.300 किमी से 23.00 किमी के ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक की शेष रही भूमि (खसरा नं. 2488. कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर एवं अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा 0.03 हेक्टेयर) के क्षेत्र में नहर निर्माण से प्रभावित होने वाले भूमि के व्यक्तियों/कृषको/भूमि धारको की सूची।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	किस्म भूमि	खसरा	कुल रकबा	अवाप्त किये जाने वाला रकबा है०	भूमि अवाप्ति अधिकारी
	1.कमला पुत्री दुर्गा हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार 2.कर्मा पुत्री गोपाल हिस्सा 1/10 जाति माली सा. देह खातेदार	बारानी प्रथम	2488	0.77 है०	0.03	श्रीमान् अति० कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति

3. गणेश पुत्र गोपाल हिस्सा 1/10 जाति माली सा. देह खातेदार						अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली
4. छोटी पुत्री गोपाल हिस्सा 1/10 जाति माली सा. देह खातेदार						
5. नन्दकिशोर पुत्र गोपाल हिस्सा 1/10 जाति माली सा. देह खातेदार						
6. रसालदेवी पत्नी गोपाल हिस्सा 1/10 जाति माली सा. देह. खातेदार						
			योग	0.77	0.03	

केन्द्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 के तहत भूमि अवाप्ति की धारा 19 के प्रस्ताव।

गोश्वारा

बीसलपुर परियोजना की दांयी मुख्य नहर की आर.डी. 19.300 किमी से 23.00 किमी के ग्राम दूनी के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित भूमि के निर्माण कार्य में आई भूमि का प्रस्तावित गोश्वारा।

क्र. सं.	गांव का नाम	नगर पालिका	तहसील	कुल खसरा नं.	कुल भूमि	अवाप्ति की जाने भूमि (हैक्टेयर)		
						निजी भूमि	सरकारी भूमि	कुल भूमि
1	दूनी	दूनी	दूनी	01	0.77	0.03	0.00	0.03
कुल भूमि						0.03	0.00	0.03

मुकेश कुमार गुप्ता,

उप सचिव एवं प्रावै. सहा.

वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।